

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि पत्र

राज्य में लागू नई वित्तीय प्रणाली CFMS Module द्वारा राशि के आवंटन/हस्तांतरण में आ रही कठिनाईयों के फलस्वरूप वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुरूप विभागीय राज्यादेश सं०-22, दिनांक- 20.06.2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

- (i) कंडिका- 5 में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, धोधरडीहा के स्थान पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग स्थापित किया जाता है।
- (ii) उक्त राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि को प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पंचायत, धोधरडीहा के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

2. उक्त राज्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

(Handwritten Signature)
2-9-19

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/जला०-01-14/2016

4643

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-3/9/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, धोधरडीहा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature)
2-9-19
सरकार के विशेष सचिव।

* स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक एवं ई-मेल

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-20/06/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर पंचायत, धोधरडीहा के कुल 04 वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ₹144.42637 लाख (एक करोड़ चौवालीस लाख बयालीस हजार छः सौ सैतीस रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश मद से तत्काल ₹36.10660 लाख (छतीस लाख दस हजार छः सौ साठ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर पंचायत, धोधरडीहा में कुल 11 वार्ड है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 11 वार्डों में से 04 वार्डों में आंशिक रूप से जलापूर्ति कार्य पूर्व में कराया गया था। दिनांक- 01.02.2019 को नगर विकास एवं आवास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन 04 वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा एवं शेष 07 वार्डों में नगर पंचायत, धोधरडीहा द्वारा हर घर नल का जल उपलब्ध कराया जाएगा।

2. उक्त के आलोक में अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक-138, दिनांक- 18.03.2019 के द्वारा नगर पंचायत, धोधरडीहा के 04 वार्डों (वार्ड सं०- 1, 2, 3 एवं 4) में पूर्ण रूप से हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ₹146.929 लाख का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया। उक्त प्राक्कलन पर विभागीय तकनीकी समीक्षा के उपरांत प्रत्येक घर में जल संयोजन हेतु औसतन 06 मीटर पाईप एवं Civil मदों का नये अनुसूचित दरों का प्रावधान करते हुए संशोधित प्राक्कलित राशि ₹144.42637 लाख निर्धारित किया गया है।

3. उक्त के आलोक में नगर पंचायत, धोधरडीहा के 04 वार्डों में पूर्ण रूप से हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ₹144.42637 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त योजना के क्रियान्वयन

u

हेतु 50 प्रतिशत राशि राज्यांश मद से तथा शेष 50 प्रतिशत राशि नगर निकाय के पास उपलब्ध 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की कर्णांकित 30 प्रतिशत राशि में से व्यय किया जाएगा।

4. उक्त के आलोक में नगर पंचायत, धोधरडीहा के 04 वार्डों में पूर्ण रूप से हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ₹144.42637 लाख (एक करोड़ चौवालीस लाख बयालीस हजार छः सौ सैतीस रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश मद से तत्काल ₹36.10660 लाख (छत्तीस लाख दस हजार छः सौ साठ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)					
नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	राज्यांश मद से आवंटित की जाने वाली राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
नगर पंचायत, धोधरडीहा	नगर पंचायत, धोधरडीहा के 04 वार्डों (वार्ड सं०- 1, 2, 3 एवं 4) में पूर्ण रूप से हर घर नल का जल उपलब्ध कराने की स्वीकृति।	144.42637	72.21318	36.10660	36.10658

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹36.10660 लाख (छत्तीस लाख दस हजार छः सौ साठ रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से राशि आवंटित किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत ₹36.10660 लाख (छत्तीस लाख दस हजार छः सौ साठ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, धोधरडीहा होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। तत्पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, धोधरडीहा द्वारा कार्यकारी एजेंसी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को राशि हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के

* स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक एवं ई-मेल

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-20/06/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर पंचायत, धोधरडीहा के कुल 04 वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ₹144.42637 लाख (एक करोड़ चौवालीस लाख बयालीस हजार छः सौ सैतीस रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश मद से तत्काल ₹36.10660 लाख (छतीस लाख दस हजार छः सौ साठ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर पंचायत, धोधरडीहा में कुल 11 वार्ड है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 11 वार्डों में से 04 वार्डों में आंशिक रूप से जलापूर्ति कार्य पूर्व में कराया गया था। दिनांक- 01.02.2019 को नगर विकास एवं आवास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन 04 वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा एवं शेष 07 वार्डों में नगर पंचायत, धोधरडीहा द्वारा हर घर नल का जल उपलब्ध कराया जाएगा।

2. उक्त के आलोक में अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक-138, दिनांक- 18.03.2019 के द्वारा नगर पंचायत, धोधरडीहा के 04 वार्डों (वार्ड सं०- 1, 2, 3 एवं 4) में पूर्ण रूप से हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ₹146.929 लाख का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया। उक्त प्राक्कलन पर विभागीय तकनीकी समीक्षा के उपरांत प्रत्येक घर में जल संयोजन हेतु औसतन 06 मीटर पाईप एवं Civil मदों का नये अनुसूचित दरों का प्रावधान करते हुए संशोधित प्राक्कलित राशि ₹144.42637 लाख निर्धारित किया गया है।

3. उक्त के आलोक में नगर पंचायत, धोधरडीहा के 04 वार्डों में पूर्ण रूप से हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ₹144.42637 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त योजना के क्रियान्वयन

हेतु 50 प्रतिशत राशि राज्यांश मद से तथा शेष 50 प्रतिशत राशि नगर निकाय के पास उपलब्ध 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की कर्णांकित 30 प्रतिशत राशि में से व्यय किया जाएगा।

4. उक्त के आलोक में नगर पंचायत, धोधरडीहा के 04 वार्डों में पूर्ण रूप से हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ₹144.42637 लाख (एक करोड़ चौवालीस लाख बयालीस हजार छः सौ सैतीस रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश मद से तत्काल ₹36.10660 लाख (छतीस लाख दस हजार छः सौ साठ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)					
नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	राज्यांश मद से आवंटित की जाने वाली राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
नगर पंचायत, धोधरडीहा	नगर पंचायत, धोधरडीहा के 04 वार्डों (वार्ड सं०- 1, 2, 3 एवं 4) में पूर्ण रूप से हर घर नल का जल उपलब्ध कराने की स्वीकृति।	144.42637	72.21318	36.10660	36.10658

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹36.10660 लाख (छतीस लाख दस हजार छः सौ साठ रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से राशि आवंटित किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत ₹36.10660 लाख (छतीस लाख दस हजार छः सौ साठ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, धोधरडीहा होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। तत्पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, धोधरडीहा द्वारा कार्यकारी एजेंसी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को राशि हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के